



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION



छठा, सातवा एवं आठवां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029
6th, 7th & 8th Floor, Tower-B, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

LICENCE FOR INTER-STATE TRADING IN ELECTRICITY

No. 128/Trading Licence/2025/CERC

Dated 14th August, 2025

The Central Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "the Commission") in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as "the Act"), hereby grants this licence as a Category 'V' trader to Aayuda Energy Ventures LLP, (hereinafter referred to as "the licensee") having its registered office situated at A-1/74, Ground Floor, Panchsheel Enclave, South Delhi, New Delhi-110017, to undertake inter-State trade in electricity as an electricity trader across India, subject to the terms and conditions contained in the Act, (in particular, Sections 17 to 22 thereof, both inclusive), the Rules made by the Central Government (hereinafter referred to as "the Rules") and the Regulations specified by the Commission (hereinafter referred to as "the Regulations"), including statutory amendments, alterations, modifications, re-enactments thereof, which shall be read as part and parcel of this licence.

2. This licence is not transferable, except in accordance with the provisions of the Act, the Rules and the Regulations.
3.
 - (1) The licensee shall not without prior approval of the Commission-
 - (a) Undertake any transaction to acquire by purchase or takeover or otherwise, the utility of any other licensee; or
 - (b) Merge its utility with the utility of any other licensee.
 - (2) The licensee shall not at any time assign its licence, or transfer its utility, or any part thereof, by sale, lease, exchange or otherwise without the prior approval of the Commission.
 - (3) Any agreement relating to any transaction referred to in sub-clause (1) and sub-clause (2) unless made with the approval of the Commission, shall be void.

4. The grant of this licence to the licensee shall not in any way hinder or restrict the right of the Commission to grant a licence to any other person within the same area for trading in electricity as an electricity trader. The licensee shall not claim any exclusivity.
5. The licence shall commence on the date of its issue and unless revoked earlier, shall continue to be in force for a period of 25 (twenty-five) years from the date of its issue.
6. The licensee may with prior intimation to the Commission, engage in any business for optimum utilization of its assets:

Provided that the licensee shall not engage in the business of transmission of electricity.
7. Unless otherwise specified by the Commission, the licensee shall pay annual licence fee of ₹ 2 lakh (Rupees Two Lakh only), and licence fee for a part of the year shall be paid on pro rata basis, rounded off to the nearest hundred rupees.
8. The provisions contained in Sections 19 to 22, both inclusive, of the Act shall apply to the licensee with regard to revocation of licence and sale of its utility.
9. The trading margin in the inter-State trading of electricity, as fixed by the Commission from time to time, shall apply to the licensee.
10. The licensee shall comply with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Trading Licence and other related matters) Regulations, 2020 as amended from time to time and the terms and conditions of the licence as provided in the order dated 14.8.2025 in the Petition No. 456/TD/2025.

Authority:- Orders of the Commission dated 19.7.2025 and 14.8.2025 in Petition No. 456/TD/2025.

CERC

Copy of the licence endorsed to:-

- (1) Ministry of Power, Government of India
- (2) Central Electricity Authority
- (3) Central Transmission Utility of India Limited (CTU)

(Harpreet Singh Pruthi)
Secretary

(Harpreet Singh Pruthi)
Secretary



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION



छठा, सांतवा एवं आठवां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029
6th, 7th & 8th Floor, Tower-B, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति

सं. 128 / व्यापार अनुज्ञप्ति / 2025 / केविआ

तारीख 14 अगस्त, 2025

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसके पश्चात् "आयोग" कहा गया है), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुदा एनर्जी वेन्चर्स एलएलपी (जिसे इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय, ए-1/74, ग्राउण्ड फ्लोर, पंचशील इन्कलेव, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली-110017 में है, को विद्युत व्यापारी के रूप में अधिनियम, (विशेषकर उसकी धारा 17 से धारा 22 जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों (जिसे इसके पश्चात् "विनियम" कहा गया है), जिसमें उनके सांविधिक संशोधन, परिवर्तन, आशोधन तथा पुनराधिनियमन भी शामिल हैं, में अंतर्विष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिसे इस अनुज्ञप्ति के अनिवार्य अंग के रूप में पढ़ा जाएगा, संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार करने के लिए प्रवर्ग-'V' के व्यापारी के रूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।

2. यह अनुज्ञप्ति अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के सिवाय हस्तांतरणीय नहीं है।

3. (1) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना,—
(क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता को क्रय द्वारा या ग्रहण करके अन्यथा अर्जित करने का कोई संव्यवहार नहीं करेगा; या
(ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी समय, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, विक्रय, पट्टे, विनिमय या अन्यथा अपनी अनुज्ञप्ति को समनुदिष्ट नहीं करेगा या अपनी उपयोगिता या उसके किसी भाग का अंतरण नहीं करेगा।

(3) उपखंड (1) तथा उपखंड (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से संबंधित कोई करार जब तक कि वह आयोग के पूर्व अनुमोदन से न किया गया हो, शून्य होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी को यह अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से आयोग का उसी क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार बाधित या निर्बंधित नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से कोई भी दावा नहीं करेगा।

5. अनुज्ञप्ति इसके जारी किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी और जब तक पहले प्रतिसंहृत नहीं कर ली जाए, इसके जारी किए जाने की तारीख से 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी।
6. अनुज्ञप्तिधारी आयोग को पूर्व सूचना के साथ, इसकी आस्तियों के अनुकूलतम उपयोग हेतु कोई भी कारबार कर सकेगा:

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण के कारबार में नहीं लगेगा।
7. जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी 2 लाख रुपए (केवल दो लाख रुपए) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा और वर्ष के किसी भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान आनुपातिक आधार पर निकटतम सौ रुपए को पूर्णांकित करके किया जाएगा।
8. अधिनियम की धारा 19 से धारा 22 तक, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, में अंतर्विष्ट उपबंध अनुज्ञप्तिधारी पर अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण और उसकी उपयोगिता की बिक्री के संबंध में, लागू होंगे।
9. विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में व्यापार मार्जिन, जैसाकि आयोग द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020 के उपबंधों तथा याचिका सं. 456/टीडी/2025 में तारीख 14.8.2025 के आदेश में यथाउपबंधित अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन करेगा।

प्राधिकार: याचिका सं. 456/टीडी/2025 में आयोग के तारीख 19.7.2025 तथा 14.8.2025 के आदेश।

के वि वि आयोग
CERC

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

अनुज्ञप्ति की प्रति निम्नलिखित को:

- (1) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
- (2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
- (3) सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयू)

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव